

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:-www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55()/CE/DLB/MJSA/16/27123-27239

दिनांक :- 22.10.2016

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
(समस्त 66 शहर) राजस्थान।

विषय :- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के प्रथम चरण में चयनित 66 शहरों की डीपीआर प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के प्रथम चरण में चयनित 66 शहरों की डीपीआर के जिला स्तर पर पुनरीक्षण पश्चात निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग को प्रस्तुत करें ताकि जिलों से निदेशालय में प्राप्त डीपीआर को पुनरीक्षण (Vetting) हेतु कार्यालय माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण में प्रस्तुत की जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के प्रथम चरण में चयनित 66 शहरों में जल संरक्षण कार्यों की डीपीआर दिनांक 24.10.2016 तक जिला स्तर पर पुनरीक्षण पश्चात निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। डीपीआर तैयार करने हेतु जीआईएस मैपिंग (High resolution satellite images of 66 cities) विभागीय वेबसाईट <http://lsg.urban.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। इसी प्रकार संरचनाओं की Geo Tagging हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 66 शहरों के लिये user credentials जारी कर दिये गये हैं। राजस्थान सम्पर्क पर नगरीय निकायवार SSO आईडी से MJSA का लिंक उपलब्ध है।

कृपया user credentials का प्रयोग कर संरचनाओं की Geo Tagging कर डीपीआर में सम्मिलित करना सुनिश्चित करें।


Sd.
(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक :- एफ 55()/CE/DLB/MJSA/16/27123-27239
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 22.10.2016

1. विशिष्ट सहायक, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. सभांगीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
7. सुरक्षित पत्रावली।


मुख्य अभियंता